अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
02/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 136 / 1999** **राजा चन्द्र गर्ग (प्रति.) बनाम् मनोज मुण्डा (प्रति.)** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील वाद संख्या–34-R15/1997-98 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या–583 / 1994–95 में खाता नम्बर–82, प्लॉट नम्बर–634 एवं 632, रकबा–0.48 एकड़ भूमि जो ग्राम–कटहरगोन्दा में अवस्थित है, के भूमि वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेश को सम्पुष्ट किया गया था। अपीलार्थियों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि वापसी का दावा विधिसम्मत नहीं है एवं इस भूमि के हस्तांतरण में किसी भी प्रकार से धारा–46 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है। उक्त भूमि कभी भी कृषि भूमि नहीं रही तथा 1969 के पूर्व ही प्रश्नगत् भूमि के 3 कट्ठा हिस्से के आवेदक दखलकार है। रंगनाथ साहू द्वारा 1948 में 3,000 / – रुपया देकर उक्त भूमि को दिबा मुण्डा से क्रय किया गया था। इसी रंगनाथ साहू के द्वारा 15 कट्ठा 02 छटांक भूमि आवेदकों को 1965 में निबंधित केवाला से बिक्री की गयी है। आवेदक मात्र 03 कट्ठा भूमि पर दखलकार है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये विशेष पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील आवेदन को बिना कोई उचित कारण मिमांसा के खारिज कर दिया गया। 1962 में दिबा मुण्डा के साथ एक Title Suit क्रमांक–288 / 1965 दायर हुआ था, जिसमें समझौता के आधार पर डिक्री पारित की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत् विषय में किसी भी तरह से भूमि वापसी का विषय सम्मिहित नहीं है। विपक्षियों के तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत् भूमि निर्विवाद रूप से आदिवासी रैयती भूमि थी, जिस पर गैर आदिवासी व्यक्ति द्वारा दखल किया गया है। आवेदकों के पास उक्त भूमि को दखल करने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। 1965 में एक Title Suit आवेदकों के तरफ से ही करवाया गया, जिसमें समझौता के आधार पर डिक्री प्राप्त की गयी। उक्त डिक्री की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। 1962 में दिबा मुण्डा द्वारा रंगनाथ साहू के पक्ष में किये गये एकरारनामा से इसकी पुष्टि होती है कि 1948 में भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ था। स्पष्टतः दिनांक–07.08.1962 में किया गया यह एकरारनामा एवं 1965 में किये गये समझौता डिक्री से आवेदकों की भूमि पर कब्जा करने की मंशा स्पष्ट होती है। अतः इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है।	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	उभयपक्षों को लिखित बहस एवं भूमि हस्तांतरण से संबंधित कागजात दायर करने हेतु एक मौका दिया गया, किन्तु कोई नये कागजात अथवा लिखित बहस दायर नहीं किये गये। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 1965 में Title क्रमांक–288/65 रंगनाथ साहू के द्वारा भोवा मुण्डा एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया गया, जिसमें प्लॉट नम्बर–632, 634 एवं 132 कुल रकबा–1.86 एकड़ भूमि का उल्लेख किया गया है। दिनांक–07.08.1962 में किये गये एकरारनामा में 01 एकड़ 60 डिसमिल भूमि का उल्लेख है। प्रश्नगत् वाद में भूमि वापसी का दावा 0.48 एकड़ भूमि पर किया गया था। भूमि वापसी का आवेदन वर्ष–1994 में ही दायर किया गया है, जो कथित भूमि हस्तांतरण के सम्भावित के तिथि से गणना करने पर कालबाधित नहीं माना जा सकता। अपीलीय न्यायालय में आवेदकों के द्वारा मात्र 03 कट्ठा भूमि उनके कब्जे में रहे का दावा किया गया, शेष भूमि बिक्री करने का उल्लेख किया गया, किन्तु उक्त भूमि किन व्यक्तियों को बिक्री की गयी, इन तथ्यों को छुपाया गया है। वर्ष–1962 में अगस्त माह में कथित एकरारनामा आदिवासी रैयत के साथ रंगनाथ साहू द्वारा किया गया है। स्पष्टतः उक्त समय आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर अनुमति के संबंधित प्रावधान लागू हो चुके थे, अतः उक्त एकरारनामा की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। उक्त रंगनाथ साहू द्वारा 1.66 एकड़ भूमि पर समझौता डिक्री पारित करायी गयी है, जो स्पष्टतः इस विषय को ओर संदेहास्पद बनाती है। आवेदकों के तरफ से प्रश्नगत् भूमि पर Schedule Area Regulation लागू होने के पूर्व निर्माण करने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत् भूमि पर Fort Wilium School नामक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जो स्पष्टतः एक व्यवसायिक गतिविधि है। अपीलीय न्यायालय द्वारा एवं विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विस्तृत रूप से विवेचना करते हुये आदेश पारित किये गये है। इस न्यायालय के समक्ष कोई नया तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्कता हो। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.21 11:31:22 +05:30
Location: 10.93.72.187

प्रमण्डलीय आयुक्त